

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

उप-महाप्रबंधक,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(पाईप लाईन प्रभाग), पूर्वी क्षेत्र पाईपलाईंस, मोतिहारी,
छपरबहास, (ब्लॉक-सुगौली), मोतिहारी पूर्वी चम्पारण।
(e-mail-amit_kumar@INDIANOIL.IN)

पटना, दिनांक—

विषय:—

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर
परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बाँए तट पर अवस्थित
चम्पारण तटबंध के कि०मी० ११६.५ (Lat-२६.३७८२५४, Lon-८४.७७७२२७६) एवं इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चैनेज ४९.९२६ कि० मी० पर दिनांक— १४.०७.२०२४ को
हुई पाईपिंग की घटना तथा उक्त क्रासिंग स्थल पर बाँध तथा पाईप लाईन की सुरक्षार्थ
पाईप लाईन की गहराई बढ़ाने हेतु द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बाँए
तट पर अवस्थित चम्पारण तटबंध के कि०मी० ११६.५ (Lat-२६.३७८२५४, Lon-८४.७७७२२७६) एवं इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चैनेज ४९.९२६ कि० मी० पर दिनांक— १४.०७.२०२४ को हुई पाईपिंग की
घटना तथा उक्त क्रासिंग स्थल पर बाँध तथा पाईप लाईन की सुरक्षार्थ पाईप लाईन की गहराई बढ़ाने
हेतु द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी
जाती है:—

जलीय आँकड़े:—

1	Design Discharge	8,50,000 Cusec
2	H.F.L	65.78 m

शर्तें:—

- पाईप लाईन बिछाने के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन किया जाय।
- पाईप लाईन HDD (Horizontal Directional Drilling) method द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाये जायेंगे।
- River Crossing हेतु पाईप लाईन नदी के केन्द्र से दोनों ओर न्यूनतम Lacey's Waterway. का १.५० गुणा दूरी तक तथा पाईप लाईन का Top Level नदी के HFL से Maximum Scour Depth अथवा Deepest Bed Level (दोनों में से जो नीचे हो) से न्यूनतम ३.०० मी० नीचे से गुजारना बाध्यकारी होगा।
- Embankment Crossing हेतु पाईप लाईन बाँध के केन्द्र से Entry Point एवं Exit Point की न्यूनतम

2

Horizontal Distance 98.32 m तथा पाईप लाईन का Top Level नदी तटबंध के पास Maximum scour depth के नीचे या N.S.L से कम-से-कम 3 मी० (दोनों में जो नीचे हो) की गहराई से गुजारना बाध्यकारी होगा।

5. पाईप लाईन के संरेखन को निर्मित संरचनाओं से न्यूनतम 50 मी० की दूरी पर रखना अनिवार्य होगा।
6. कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी के प्रवाह बाधित नहीं हो।
7. नई पाईप लाईन चालु होने के पश्चात् पुरानी पाईप लाईन को हटा देना होगा एवं पुरानी पाईप को हटाने के क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा कि तटबंध पर किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न हो।
8. नदी/तटबंधों के क्रॉसिंग बिन्दुओं के समीप Danger post लगाना होगा ताकि कार्य स्थल पर कार्य करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
9. तटबंध के across पाईप लाईन बिछाते समय सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाना होगा, जिससे तटबंधों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
10. यह सुनिश्चित करना होगा कि पाईप लाईन के कारण तटबंधों के रख-रखाव एवं इसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण करने में पाईप लाईन के कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
11. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पाईप लाईन के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की पूरी जिम्मेवारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श मान्य होगा।
12. पाईप लाईन के मार्ग में पक्की सड़क एवं संरचना को क्षति नहीं पहुँचानी होगी।
13. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Material को पूर्ण रूप से हटा लेना होगा।
14. उपर्युक्त पाईप लाईन से पेट्रोलियम उत्पाद आदि का रिसाव नहीं हो इसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबंधन एवं विशेष सुरक्षा की व्यवस्था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा की जानी होगी।
15. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
16. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा।
17. यह अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।
18. किसी भी प्रकार के dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
19. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता की होगी।
20. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।



21. पाईप लाईन में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी।
22. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश-सह-ज्ञापांक-यो०मो०-4(विविध)07-372/2020 पार्ट-II-143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
23. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रजेश मोहन),

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक- बाढ़ नि० रूपां० प्र०-०१-तक० (अना०)-४२/२०२५-

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

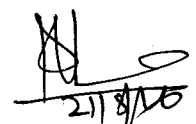
ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक-बाढ़ नि० रूपां० प्र०-०१-तक० (अना०)-४२/२०२५- 240

पटना, दिनांक : 25/08/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।